न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–88 आरटीए
प्रकरण संख्या:–01/2021

बलराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1.रजिया बेगम पत्नी नियाज अहमद
2.शहनशाह } पि0 नियाज अहमद
3.हसीना बेगम
} जाति मुसलमान निवासीयान राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाष चन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादीया
श्री महावीरप्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

वादी बलराम ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादीगण के नाम से चकनं0 5 आर.के. खाता सं0 38/42 में कुल 1.771 है0 कृर्षि भूमि द्रर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीसं0 1 के पति व प्रतिवादीसं0 2 व 3 के पिता नियाज अहमद से वादी द्वारा वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी जरिये पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 10.09.18 को खरीद की हुई है। उक्त किलानं0 18 का कब्जा वादी के पास है। उक्त कृर्षि भूमि का बैक ऋण होने के कारण वादी के नाम नामान्तकरण नही हो सका व प्रतिवादी सं0 1 का पति व प्रतिवादीसं0 2 व 3 के पिता नियाज अहमद फौत हो गया। बाद फौतगी उक्त कृर्षि भूमि का विरास्तन नामान्तकरण दर्ज हो गया।वादी वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी पर वादी का कब्जा खरीद के समय से ही चला आ रहा है लेकिन उपरोक्त आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से तथा वादी की खरीदशुदा व कब्जा की आराजी एक बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।इसलिए वादी वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज वादी के कब्जा काश्त की आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये।बस यही विनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीसं0 1 के पति व प्रतिवादीसं0 2 व 3 के पिता नियाज अहमद से वादी द्वारा वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी जरिये पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 10.09.18 को खरीद की हुई है व उक्त भूमि का कब्ज़ा वादी के पास है। हम प्रतिवादी सं0 1 का पति व प्रतिवादीसं0 2 व 3 के पिता नियाज अहमद फौत हो गया। बाद फौतगी उक्त कृर्षि भूमि का विरास्तन नामान्तकरण दर्ज हो गया। वादपत्र कीदफा 3 मे दर्ज आराजी पर वादी का कब्जा खरीद के समय से ही चला आ रहा है व आज भी वादी अपनी उपरोक्त भूमि पर काबिज है। वादी की खरीदशुदा व कब्ज़ा की आराजी एक बीघा भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 5 आरके खाता सं0 38/42 मे से प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज़ नही है। जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आईडी की फोटो प्रतियॉ पेश की गई वादी द्वारा अपना साक्ष्य का शपथ पत्र व पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 10.09.18 की फोटो प्रति तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पति व पिता नियाज अहमद के मृत्यू प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है तथा वादी द्वारा अपनी भूमि जरिये बैयनामा प्रतिवादीगण के पिता व पति नियाज अहमद से वादपत्र कीदफा 3 में दर्ज आराजी खरीद की हुई है। खरीदशुदा आराजी पर वादी का कब्जा चला आ रहा है जिसको प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जबाबदावा में स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण के पति व पिता नियाज अहमद फौत हो चुके है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावा में वादी के वाद को स्वीकार किया है व वादी के कब्जा काश्त को भी स्वीकार किया है। वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक जबाबदावा के अनुसार वाद डिक्री किये ज़ाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी,सहमति का जबाबदावा, बैयनामा की फोटो प्रति, मृत्यू प्रमाण पत्र नियाज अहमद व वादी का शपथ पत्र, का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद साबित है।प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक जबाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है।वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अंतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चक नं0 5 आर.के. खाता सं0 38/42 के प0न0 213/279 मु0 10 किलानं0 18/.253 है0 आराजी का वादी को मुताबिक बैयनामा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 5 आर.के. के खातासं0 38/42 में से प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
(मांगीलाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:–01/2021

बलराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1.रजिया बेगम पत्नी नियाज अहमद
2.शहनशाह } पि0 नियाज अहमद
3.हसीना बेगम
} जाति मुसलमान निवासीयान राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं0 5 आर.के. खाता सं0 38/42 के प0न0 213/279 मु0 10 किलानं0 18/.253 है0 आराजी का वादी को मुताबिक बैयनामा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 5 आर.के. के खातासं0 38/42 में से प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X...निल........X.मुब्लिक...X..निल...X.....बाबत्........X...निल............X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी